समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

तारांकित प्रश्न संख्याः- 47

दिनॉकः - 28.02.2019

प्रश्नकर्ताः - सुश्री अलका लांबा

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>विकलांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या, विकलांग पेंशन के पेंडिंग आवेदन पत्रों की संख्या और रद्द किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और इनके रद्द करने के कारणों का विवरण दीजिए;</td><td>विकलांग पेंशन लाभार्थियों की कुल संख्या, पेंडिंग और रद्द किए गए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>वर्तमान लाभार्थियों की संख्या</th><th>पेंडिंग आवेदनों की संख्या*</th><th>रद्द आवेदनों की संख्या*</th></tr>
<tr><td>84,014</td><td>6,071</td><td>448</td></tr>
</table>
विकलांग पेंशन आवेदन रद्द करने के कारण निम्न हैं–
1. प्रार्थी के पास दिल्ली में रहने का 5 वर्ष का प्रमाण का न होना।
2. प्रार्थी की आय का तय सीमा से अधिक होना।
3. प्रार्थी का विकलांग प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल से न होना।
4. विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी की विकलांगता का 40 प्रतिशत से कम होना।
5. प्रार्थी के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों में किसी तरह की छेड़छाड़ (Tampering) होना अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र, इत्यादि।
6. प्रार्थी के दस्तावेजों में अन्य किसी प्रकार की त्रुटि का पाया जाना ।</td></tr>
</table>

Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

<table>
<tr><td>(ख)</td><td>वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या, वृद्धावस्था पेंशन के पेंडिंग आवेदन पत्रों की संख्या और रद्द किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और इन्हें रद्द करने के कारणों का विवरण दीजिए;</td><td>वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की कुल संख्या, पेंडिंग और रद्द किए गए आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><td>वर्तमान लाभार्थियों की संख्या</td><td>पेंडिंग आवेदनों की संख्या*</td><td>रद्द आवेदनों की संख्या*</td></tr>
<tr><td>4,42,838</td><td>10,908</td><td>3,968</td></tr>
</table>
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन रद्द करने के कारण संलग्न हैं–
1. प्रार्थी के पास दिल्ली में रहने का 5 वर्ष का प्रमाण का न होना।
2. प्रार्थी की आय तय सीमा से अधिक होना।
3. प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर।
4. प्रार्थी के द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों में किसी तरह की छेड़छाड़ (Tampering) होना अथवा अपूर्ण आवेदन प्रत्र, इत्यादि।
5. प्रार्थी के दस्तावेजों में अन्य किसी प्रकार की त्रुटि का पाया जाना ।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>क्या किसी पेंशन भोगी को अपना आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है;</td><td rowspan="2">जी नहीं। केवल आवेदन करते समय आधार कार्ड की प्रति बतौर सबूत जमा करना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>यदि हां, तो क्या आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ जोड़ने तक पेंशन बंद की गई है; और</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु संबंधी अपेक्षित न्यूनतम दस्तावेज प्रमाणों की संख्या और विवरण सहित बताइए</td><td>वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु संबंधी अपेक्षित प्रमाणों की न्यूनतम संख्या 1 है। संभावित 12 दस्तावेजों का विवरण संलग्न है।</td></tr>
</table>

संख्या*– यह संख्या ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में दर्शाये आंकड़ों पर आधारित है। यह पोर्टल फरवरी 2017 में आरंभ हुआ। इससे पहले आवेदन ऑफलाइन लिए जाते थे। कुल लाभार्थियों की वास्तविक संख्या एक चलती हुई संख्या होने के नाते उपलब्ध है, परंतु ऑफलाइन लंबित एवं रद्द आवेदनों की संख्या विभाग में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

नोट– समाज कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 12.11.2018 के जारी होने से पहले केवल बढी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ जोड़ना अनिवार्य था, किंतु उपरोक्त आदेश के अनुसार बैंक से लिंक करने की आवश्यकता 30 अप्रैल 2019 तक स्थगित कर दी गई है। सदन को यह भी अवगत कराया जाता है कि आधार संबंधित उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेशानुसार सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आधार उपलब्ध होना अनिवार्य है ।

Dy. Director (FAS)
Deptt of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002